समक्ष न्यायालय – सदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर

पुनर्विलोकन/छिंदवाड़ा/भू.रा./2018/1598

गौरव पोपली पिता श्री चंद्रकांत पोपली, उम्र करीब 32 वर्ष
निवासी– श्याम टॉकीज, छिंदवाड़ा
तहसील व जिला छिंदवाड़ा ..... पुनर्विलोकनकर्ता

विरूद्ध

1. चिबल पिता फुलचंद यादव
2. लक्ष्मण पिता फुलचंद यादव
3. टीकाराम पिता प्रेमलाल यादव
4. मेहताब पिता बब्बू यादव
5. गनाराम पिता बिहारी यादव
6. गनाराम पिता टेकचंद यादव
7. विशाल पिता श्यामलाल यादव
   कं. 1 से 3 निवासी– झील मोहल्ला छोटा तालाब छिंदवाड़ा
   तहसील व जिला छिंदवाड़ा
   कं.4 से 7 निवासी– अंतरबेल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा
   तहसील व जिला छिंदवाड़ा
8. श्रीमती कमला बाई पति लक्ष्मीप्रसाद
   निवासी– ग्राम गुढ़ी तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा
9. राहुल जुनेजा पिता श्री राजकुमार जुनेजा
10. श्रीमती रजनी जुनेजा पति स्व. श्री राजकुमार जुनेजा
11. कु.अनमोल जुनेजा पिता स्व.श्री राजकुमार जुनेजा
    कं.9, 10, 11 विधिक प्रतिनिधि(मृत) राजकुमार जुनेजा पिता स्व.श्री लालचंद जुनेजा, 9 से 11 निवासी– शनिचरा बाजार नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा , तहसील व जिला छिंदवाड़ा
12. नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा
    द्वारा आयुक्त छिंदवाड़ा, तहसील व जिला छिंदवाड़ा .... उत्तरवादीगण

पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं.

राजस्व प्रकरण कमांक निगरानी–1342–एक/13 एवं प्रकरण कमांक निगरानी–1343–एक/13 मौजा ग्राम छिंदवाड़ा खास, तहसील व जिला छिंदवाड़ा पक्षकार चिबल यादव एवं अन्य विरूद्ध राजकुमार जुनेजा एवं अन्य न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सदस्य एम. के. सिंग) के समेकित अंतिम आदेश दिनांक 04/04/2014 से व्यथित होकर यह पुनर्विलोकन याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :–

पुनर्विलोकन के तथ्य

1. कि पुनर्विलोकनकर्ता छिंदवाड़ा का स्थायी निवासी है, यहां पर उसकी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/पुनरावलोकन/छिंदवाड़ा/भू0रा0/2018/1598

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-10-2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया । उनके द्वारा आवेदन में लेख किया गया है कि इस प्रकरण में दिनांक 4-10-18 को पारित अंतिम आदेश के पैरा 1 की तीसरी लाइन में एवं आदेश के पैरा 3 की 15वीं लाइन में दिनांक 4-4-2014 के स्थान पर दिनांक 24-4-14 टंकित हो गया है, जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि अभिलेख से होती है । अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस प्रकरण में दिनांक 4-10-18 को पारित अंतिम आदेश के पैरा 1 की तीसरी लाइन एवं पैरा 3 की 15वीं लाइन में <u>दिनांक 24-4-2014</u> के स्थान पर <u>दिनांक 4-4-2014</u> पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा । प्रशा0 सदस्य	